राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकल पीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7206/2022

सिद्धांत सिंह चारण पुत्र श्री बहादुर सिंह, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी बडी, पी.एस. रायपुर, वर्तमान में 7-जे-14, चंद्र शेखर, आजाद नगर, भीलवाड़ा, पी.एस. प्रताप नगर, भीलवाड़ा।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक द्वारा

2. गरिमा जैन पुत्री श्री सुरेश चंद्र, निवासी मकान नं. 2 सी 21 आर.सी. व्यास कॉलोनी, पी. एस. सुभाषनगर, जिला भीलवाड़ा

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए :श्री अभिषेक चारण

उत्तरदाताओं के लिए :श्री विक्रम शर्मा, लोक अभियोजक

:श्री कालूराम भाटी

:सुश्री गरिमा जैन-व्यक्तिगत रूप से

माननीय डॉ. न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>02/12/2022 पर आरक्षित</u>

<u>06/12/2022 पर उद्घोषित किया गया</u>

1. यह आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निम्नलिखित राहतों का दावा करने को प्राथमिकता दी गई है:-

> *"इसलिए, प्रार्थना की जाती है कि इस विविध याचिका को कृपया अनुमति दी जाए और विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, महिला अत्याचार अधिनियम प्रकरण, भीलवाड़ा द्वारा सेशन प्रकरण क्रमांक 77/2019 दिनांक 30.09.2022 के आदेश को कृपया रद्द कर दिया जाए द्वारा और याचिकाकर्ता द्वारा उसमें उल्लिखित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए दायर साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत आवेदन/प्रमाण पत्र की अनुमति दी जाए।*

कोई अन्य उचित आदेश, जिसे माननीय न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझे, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखे गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता अभियोक्त्री पक्ष ने एक टाइप की गई रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आरोप लगाया गया कि पिछले 2 वर्षों से, ऐसी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, वह न्यायालय का दौरा कर रही थी। भीलवाड़ा न्यायालय परिसर में याचिकाकर्ता ने उसे कानूनी सहायता की पेशकश की और उसका मोबाइल फोन नंबर प्राप्त किया। इस बहाने, एक दिन याचिकाकर्ता उसके घर गया और उसे कुछ 'प्रसाद' दिया, उसे खाने के बाद, वह बेहोश हो गई, और उसके बाद, याचिकाकर्ता ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। याचिकाकर्ता ने उसका एक वीडियो भी बनाया था, और अभियोजक को यह कहते हुए धमकी दी थी कि वह उक्त वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देगा। यह आगे आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री से शादी करने का वादा किया था और इस तरह के वादे पर उससे कुछ पैसे और गहने भी लिए थे, और न केवल याचिकाकर्ता बल्कि उसके अन्य परिवार ने भी उसे धमकी दी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, एक

मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद भा.दं.सं. की धारा 323,376 (2) (एन), 384 और 354 के तहत अपराधों के लिए एक आरोप-पत्र दायर किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की ओर से साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें अभियोक्त्री पक्ष और याचिकाकर्ता के बीच 'व्हाट्सएप मैसेंजर' पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट, अभियोक्त्री द्वारा याचिकाकर्ता को भेजी गई कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री की कुछ अन्य फोन कॉल रिकॉर्डिंग, उक्त धारा के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र के साथ, जिसे नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर रखने की मांग की गई थी; लेकिन उक्त आवेदन को निचली न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आक्षेपित आदेश कानून की नजर में बुरा है क्योंकि प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन कानून के अनुसार था, और दोष/अनियमितता के मामले में भी इसका इलाज किया जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***सोनू @अमर बनाम हरियाणा राज्य (2017) 8 एससीसी 570*** के मामले में कहा था।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र दायर करने के समय, याचिकाकर्ता के कॉल विवरण संबंधित जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए थे, हालांकि यह उक्त आरोप-पत्र के साथ दायर नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने जांच एजेंसी को इसकी प्रतियां भी प्रदान की थीं।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय के समक्ष चल रहे मुकदमे के दौरान, एक निष्पक्ष निर्णय के लिए रिकॉर्ड पर लाए जाने के लिए मांगे गए डिजिटल साक्ष्य आवश्यक हैं, और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा 1872 के अधिनियम की खंड 65 बी के तहत आवेदन को अनुमति देते हुए, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए ।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल और अन्य (2020) 7 एससीसी 1*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भी भरोसा जताया।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक, साथ ही शिकायतकर्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका का विरोध किया

और प्रस्तुत किया कि निचली न्यायालय ने आक्षेपित आदेश सही ढंग से पारित किया है इसमे पाया गया कि उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र, 1872 के अधिनियम की धारा 65 बी में निहित कानून के प्रावधान के अनुपालन में नहीं था।

9. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और साथ ही मामले के रिकॉर्ड और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया।

10. इस न्यायालय का मानना है कि 1872 के अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाणपत्र को खारिज करते हुए दिनांक 30.09.2022 के आक्षेप में कहा गया है कि प्रमाणपत्र में आवश्यक विवरण शामिल नहीं थे, अर्थात याचिकाकर्ता का मोबाइल फोन नंबर और न ही किस मोबाइल फोन नंबर से विचाराधीन संदेश प्राप्त हुए थे, आदि, जैसा कि उपरोक्त धारा में निहित कानून के प्रावधान द्वारा अनिवार्य है।

11. यह न्यायालय आगे मानता है कि 1872 के अधिनियम की खंड 65 बी के तहत प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में कानून का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोनू ***@अमर (उपरोक्त) के मामले में किया गया था, जिसे अर्जुन पंडितराव खोटकर (उपरोक्त)*** के मामले में दोहराया और आगे स्पष्ट किया गया था। संक्षिप्तता के लिए, उक्त निर्णय के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

*"हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि धारा 65 बी उस चरण के बारे में बात नहीं करती है जिस पर ऐसा प्रमाणपत्र न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनवर पी वी में (उपरोक्त), इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि इस तरह के प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए जब इसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है। हम केवल यह जोड़ सकते हैं कि ऐसा उन मामलों में होता है जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर भरोसा करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है। **हालांकि, ऐसे मामलों में जहां या तो दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिया गया है, या ऐसे मामलों में जहां इस तरह के प्रमाण पत्र की मांग की गई है और संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया है, मुकदमे का संचालन करने वाले न्यायाधीश को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) में संदर्भित व्यक्ति/व्यक्तियों को तलब करना चाहिए, और यह आवश्यक है कि ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दिया जाए।"** यह, विचारण न्यायाधीश को तब करना चाहिए जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उपरोक्त परिस्थितियों में आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना उसके सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह, निश्चित रूप से, कानून के*

अनुसार और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार विवेक के प्रयोग के अधीन है। जब आपराधिक मुकदमों की बात आती है, तो इस सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त को उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति की जानी चाहिए जिन पर अभियोजन पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा शुरू करने से पहले भरोसा करना चाहता है।

इसलिए, सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है जिन पर मुकदमा शुरू होने से पहले किसी अभियुक्त को भरोसा दिया जा सकता है। इस प्रकार, आपराधिक मुकदमों में अदालतों द्वारा बाद के चरण में साक्ष्य दायर करने की अनुमति देने में शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर या अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 या 311 या साक्ष्य अधिनियम की खंड 165 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी आवेदन की जांच करने में न्यायालय द्वारा पक्षों के अधिकारों के संबंध में एक संतुलित अभ्यास किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, और न्यायालय यह देखने के बाद विवेकाधिकार का प्रयोग करता है कि

अभियुक्त निष्पक्ष मुकदमे के अभाव में पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, न्यायालय उचित मामलों में अभियोजन पक्ष को बाद में ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

यदि यह अभियुक्त है जो अपने बचाव के हिस्से के रूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो यह फिर से न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार विवेक के न्याय पर निर्भर करेगा।

12. यह न्यायालय इस प्रकार मानता है कि निचली न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश के माध्यम से, सही माना है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नगत प्रमाण पत्र को कानून के अनुपालन में प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथापि, ऊपर उल्लिखित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह का दोषपूर्ण प्रमाण पत्र मामले के गुण-दोष के आधार पर संबंधित न्यायालय के कहने पर ठीक किया जा सकता है।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाने के लिए मांगे गए दस्तावेज़ उसके बचाव के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और इस प्रकार, न्याय के हित में होगा कि 1872 के अधिनियम की धारा 65 बी के अनुसार आवश्यकताओं का उचित अनुपालन करने के बाद, याचिकाकर्ता को इसे दाखिल करने का अवसर दिया जाए।

14. इसलिए वर्तमान याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है; निचली न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09.2022 को रद्द कर दिया गया है; विद्वान न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन को बहाल कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को 1872 के अधिनियम की धारा 65 बी के तहत एक प्रमाण पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए, उक्त धारा में निहित कानून के प्रावधानों का उचित अनुपालन करते हुए, वर्तमान में सीमित हस्तक्षेप किया गया है, याचिकाकर्ता को नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय के समक्ष अपना बचाव प्रस्तुत करने और पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि निचली न्यायालय इस पर नए सिरे से सख्ती से कानून के अनुसार विचार करेगी। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), न्यायाधीश

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।